(वाद सं०–7632/4/24/2022)

04.01.2024

प्रसंगाधीन मामला दिनांक–20.05.2022 को परिवादी, किशोरी केवट, के घर में गैस सिलेन्डर में लिकेज के कारण लगी आग से हुई नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक–20.05.2022 को उसके घर में गैस सिलेन्डर लिकेज होने के कारण अचानक आग लग गई, जिसमें उसकी पत्नी की जलकर मृत्यु हो गई साथ ही साथ उसके घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। परिवादी की ओर से उपरोक्त हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति की माँग की गई है।

उक्त पर **जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, नालन्दा व अंचल अधिकारी, बिहारशरीफ के प्रतिवेदनानुसार, **''परिवादी, किशोरी केवट (मृतका के पति) को चेक संख्या–453391 व चेक संख्या–565695 क्रमशः दिनांक–13.02.2023 व दिनांक–26.08.2023 के माध्यम से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है।''**

अब जबकि परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा समाधान किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदन (पृष्ठ 42–39/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव